



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
"विधि प्रकोष्ठ वर्ग"
लोक निर्माण विभाग, देहरादून



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Phone & Fax:- 0135-2531742, 2530431

E-Mail-eicpwwduk@nic.in

Website-http://pwd.uk.gov.in

पत्र सं०-1476/49 वि०प्र०/15

दिनांक 09/09/2015

"परिपत्र"

लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड से सम्बन्धित विभिन्न मा० न्यायालयों/अधिकरण में चल रहे कोर्ट केसेज के सम्बन्ध में विभाग के विरुद्ध मा० न्यायालय द्वारा कोई निर्णय पारित किया जाता है तो सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता निर्णय का अवलोकन करते हुए यथावश्यक समझे जाने पर पारित निर्णय के विरुद्ध समयान्तर्गत शासन/प्रमुख अभियन्ता कार्यालय से अनुमति प्राप्त कर सक्षम न्यायालय में अपील हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करें। यदि समय पर सक्षम न्यायालय में अपील हेतु कार्यवाही नहीं की जाती है और इससे विभाग पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ता है तो इसके लिए सम्बन्धित कार्यालय के अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। इस सम्बन्ध में कोई लापरवाही न बरती जाय।

(आर०सी० पुरोहित)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/अल्मोड़ा/देहरादून/हल्द्वानी/नई टिहरी, पिथौरागढ़।
2. मुख्य अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं ब्रिजेज, लोक निर्माण विभाग, देहरादून/हल्द्वानी।
3. मुख्य अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, लोक निर्माण विभाग, देहरादून/अल्मोड़ा।
4. मुख्य अभियन्ता, ए०डी०बी०आई०टी०, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता।
7. विधि परामर्शी, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)